



BIJNOR POLICE



साइबर थाना

जनवरी – 2024

साइबर थाना जनपद बिजनौर के द्वारा जनवरी – 2024 में 03 व्यक्तियों से हुई ऑनलाइन रुपयों की धोखा-धड़ी में कुल **2,22,999/- रुपये** वापस कराये गये—

साइबर सैल जनपद बिजनौर द्वारा निम्न शिकायतों को तत्काल संज्ञान में लेते हुए त्वरित विधिक कार्यवाही की गयी, जिसके फलस्वरूप पीड़ितों के बैंक खातों से निकाले गये रुपयों को वापस कराया गया। रुपये वापस मिलने पर पीड़ितों द्वारा बिजनौर पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया।

क्र०सं०	थाना	प्रा०पत्र सं०/ मु०अ०सं०	बरामद धनराशि
1	कोतवाली शहर	मु०अ०सं०—495/2023	1,37,999/-
2	कोतवाली शहर	NCRP सं०- 6968/24	50,000/-
3	नजीबाबाद	NCRP सं०- 3585/24	35,000/-
कुल योग			2,22,999 /— रुपये



BIJNOR POLICE



सर्विलांस सेल

माह जनवरी – 2024

सर्विलांस सेल जनपद बिजनौर ने माह जनवरी – 2024 में 24 गुमशुदा मोबाइल फोन किये बरामद –

सर्विलांस सेल जनपद बिजनौर द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत गुमशुदा मोबाइल फोन के प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर कार्यवाही करते हुए माह जनवरी – 2024 में 24 गुमशुदा मोबाइल फोन कीमत (लगभग 02 लाख 90 हजार रुपये) को बरामद किया गया। मोबाइल मिलने पर आवेदकों द्वारा प्रसन्नता व्यक्त की गई।

क्र०सं०	प्रा०पत्र सं०	मोबाइल धारक का नाम व पता
1	कैम्प 89	राहुल गर्ग निवासी मौ० शान्ति नगर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2	कैम्प 94	टेक चन्द्र पुत्र श्री प्यारे लाल निवासी मौ० श्यामली थाना नजीबाबाद बिजनौर
3	कैम्प 118	संदीप पुत्र नरेश कुमार निवासी ग्रा० चन्दपुरी थाना कोतवाली शहर बिजनौर
4	कैम्प 173	अफजाल पुत्र इरफान निवासी ग्रा० तरीकमपुर थाना कोतवाली शहर बिजनौर
5	कैम्प 246	अंकित शर्मा पुत्र विनीत कुमार नि० मौ० चौधरियान थाना को० शहर बिजनौर
6	कैम्प 249	बलवन्त सिंह पुत्र राम सिंह निवासी ग्रा० कादरपुर थाना को० शहर बिजनौर
7	कैम्प 260	शिव कुमार पुत्र अमरपाल निवासी कस्बा उझारी थाना व जनपद अमरोहा
8	कैम्प 287	नदीम अहमद पुत्र नसीम अहमद नि० बादशाहपुर थाना को० शहर बिजनौर
9	कैम्प 296	राजेन्द्र सिंह निवासी मौ० बुखारा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
10	प्रा० पत्र० सं० 244	उदयरज पुत्र हरकेश निवासी मौ० शिवाजीनगर थाना को० शहर बिजनौर
11	प्रा० पत्र० सं० 291	पंकज पुत्र अमर सिंह निवासी ग्रा० विजयनगर थाना को० शहर बिजनौर
12	प्रा० पत्र० सं० 321	नीरज कुमार पुत्र राजेश कुमार निवासी ग्रा० साहुवाला थाना बढापुर बिजनौर
13	प्रा० पत्र० सं० 342	रोहताश पुत्र प्रताप सिंह निवासी कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर
14	प्रा० पत्र० सं० 353	राज कुमार निवासी वसुंधरा विहार कॉलोनी थाना को० शहर जनपद बिजनौर

15	प्रा0 पत्र0 सं0 369	आश मोहम्मद पुत्र मो0 मतीन निवासी ग्रा0 रहीमपुर थाना को0 शहर बिजनौर
16	प्रा0 पत्र0 सं0 393	इल्मा पुत्री शारिक निवासी मौ0 झण्डा कस्बा व थाना किरतपुर बिजनौर
17	प्रा0 पत्र0 सं0 430	साजिदा पत्नी आजम निवासी ग्रा0 जन्दरपुर थाना कोतवाली शहर बिजनौर
18	प्रा0 पत्र0 सं0 463	गुलजार पुत्र अन्जार निवासी मौ0 नौमी कस्बा व थाना बढापुर बिजनौर
19	प्रा0 पत्र0 सं0 479	अजय कुमार पुत्र कलवा सिंह निवासी ग्रा0 बुखारा थाना को0 शहर बिजनौर
20	प्रा0 पत्र0 सं0 506	रफीउल्ला पुत्र सफीक अहमद मौ0 भुड्डी बसी थाना किरतपुर बिजनौर
21	प्रा0 पत्र0 सं0 530	अर्पित कुमार पुत्र मुनीश कुमार नि0 ग्रा0 फाजलपुर थाना अफजलगढ बिजनौर
22	प्रा0 पत्र0 सं0 243	गौरव पुत्र रामलखन निवासी कस्बा व थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
23	प्रा0 पत्र0 सं0 602	आरक्षी 262 अंकुर कुमार रिजर्व पुलिस लाइन जनपद बिजनौर
24	प्रा0 पत्र0 सं0 614	राज तोमर निवासी आवास विकास कॉलोनी थाना कोतवाली शहर बिजनौर





जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना मण्डावर

दिनांक 02.02.2024

थाना मण्डावर पुलिस ने मु0अ0सं0 34/2024 धारा 323/307/504/34 भादवि व धारा 3(2)v एससी/एसटी एक्ट में वांछित दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 01.02.2024 को वादी ने थाना मण्डावर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.लेखराज पुत्र ओमप्रकाश, 2.मोन्टू व 3.राहुल पुत्रगण लेखराज निवासी ग्राम शहजादपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर द्वारा वादी व वादी के पुत्र के साथ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली गलौच की गई तथा जान से मारने की नियत से लाठी व पाटल से मारपीट की गई । तहरीर के आधार पर थाना मण्डावर पर मु0अ0सं0 34/2024 धारा 323/307/504 भादवि व धारा 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया । अभियोग में धारा 34 भादवि की वृद्धि की गई ।



कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मण्डावर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण संजीव शर्मा उर्फ लेखराज पुत्र ओमप्रकाश व राहुल पुत्र संजीव शर्मा उर्फ लेखराज निवासीगण ग्राम शहजादपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण की निशांदाही पर घटना में प्रयुक्त पाटल को बरामद किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता :-

1. संजीव शर्मा उर्फ लेखराज पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम शहजादपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर ।
2. राहुल पुत्र संजीव शर्मा उर्फ लेखराज निवासी ग्राम शहजादपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर ।

बरामदगी विवरण:-

घटना में प्रयुक्त पाटल ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना मण्डावर जनपद बिजनौर ।
- 2.हे0का0 364 लालू थाना मण्डावर जनपद बिजनौर ।
- 3.का0 1256 विपिन तोमर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना मण्डावली

दिनांक – 02.02.2024

**थाना मण्डावली पुलिस ने मु0अ0सं0 05/2024 धारा 420/120बी/467/506 भादवि में
वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 07.01.2024 को वादी श्री रितेश पुत्र करन सिंह निवासी ग्राम रामनगर थाना मण्डावली जनपद बिजनौर हाल निवासी मौ0 बी-7 आदर्शनगर, कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.यशवन्त सिंह पुत्र रतन सिंह व 2.कमल सिंह पुत्र बलवीर फर्जी तरीके से स्टाम्प बनाकर तथा मुहर व हस्ताक्षर कर वादी के चाचा की मृत्यु के उपरान्त जमीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं । तहरीर के आधार पर थाना मण्डावली पर मु0अ0सं0 05/2024 धारा 420/120बी/467/506 भादवि बनाम उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 02.02.2024 को थाना मंडावली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 05/2024 धारा 420/120बी/467/506 भादवि में वांछित अभियुक्त यशवंत सिंह पुत्र रतन सिंह निवासी ग्राम रामनगर थाना मण्डावली जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

यशवंत सिंह पुत्र रतन सिंह निवासी ग्राम रामनगर थाना मण्डावली जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री महेशचन्द्र थाना मण्डावली जनपद बिजनौर
- 2.कां0 56 धर्मेन्द्र थाना मण्डावली जनपद बिजनौर



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक:- 02.02.2024

जनपदीय पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चल रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 02.02.2024 को जनपदीय पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	किरतपुर	सोमपाल पुत्र खमानी सिंह निवासी ग्राम गोविन्दपुर थाना किरतपुर बिजनौर ।
2	नहतौर	परवेज पुत्र अफजाल निवासी मौ० मोलवियान कस्बा व थाना नहतौर बिजनौर ।



थाना किरतपुर



थाना नहतौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना को0 शहर

दिनांक 02.02.2024

**थाना को0 शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 90/2024 धारा 376/504/506 भादवि व धारा 3/4
पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 30.01.2024 को वादी ने थाना को0 शहर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण साजिद उर्फ जंगली व राशिद पुत्रगण लियाकत निवासीगण मौ0 जुलाहान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए व उसके साथ गलत कार्य किया तथा वादी व वादी की पत्नी के साथ गाली गलौच व जान से मारने की धमकी दी गई । तहरीर के आधार पर थाना को0 शहर पर मु0अ0सं0 90/2024 धारा 376/504/506 भादवि व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया । अभियोग में विवेचनात्मक कार्यवाही के आधार पर धारा 363/366 भादवि की वृद्धि की गई ।



कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना को0 शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त साजिद उर्फ जंगली पुत्र लियाकत निवासी मौ0 जुलाहान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

साजिद उर्फ जंगली पुत्र लियाकत निवासी मौ0 जुलाहान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ0नि0 श्री यशदेव शर्मा थाना को0 शहर जनपद बिजनौर ।
- 2.का0 1892 दीपक कुमार थाना को0 शहर जनपद बिजनौर ।
- 3.का0 2420 शोकेन्द्र सिंह थाना को0 शहर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर

दिनांक – 02.02.2024

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा 03 बाल अपचारियों को एक अवैध तमंचा 315 बोर व 03 जिन्दा कारतूस सहित पुलिस अभिरक्षा में लिया गया ।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन – 2024 को निर्विघ्न/सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अवैध शस्त्रों की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा 03 बाल अपचारियों को एक अवैध तमंचा 315 बोर व 03 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 95/2024 धारा 3/9/25 आयुद्ध अधिनियम पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

पुलिस अभिरक्षा में लिये गये बाल अपचारियों का नाम व पता –

03 बाल अपचारी

बरामदगी –

एक अवैध तमंचा 315 बोर व 03 जिन्दा कारतूस

बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लेने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
- 2.हे0कां0 402 धर्मवीर खोखर थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
- 3.हे0कां0 850 नीरज कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
- 4.हे0कां0 334 प्रवेन्द्र कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
- 5.कां0 2550 हरीशचन्दन थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर